

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

दि./प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
30/21	136 L.R Act	वाकडी रोडा	दुवडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
रतनलाल	बनाम	राज0 सरकार	

2021/168

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

21/9/21

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 26/10/21 को पेश हो।

(Signature)

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

8/10/21

पत्रावली आज प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 के रूप खोपर पर पेश हुई। तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त। मुकामिक तहसीलदार दुवडा की रिपोर्ट के आधार पर रतन पुत्र गंगोलिया के स्थान पर ग्राम वाकडी रोडा के एकल सैलियां 35 व 22 में रतनलाल पुत्र गंगाराम की गण दर्ज किया जाने के आदेश तहसीलदार दुवडा को दिये जाते हैं। आदेश हलक से जारी होकर सल्लुन पत्रावली हो। अन्य कोई काम नहीं अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर टूट की जाती है पत्रावली जसल सुभार होकर कारिबल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

“प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021”

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

छबड़ा जिला - बारां

-: आदेश :-

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी इरमा खोपर व भू.अ.नि. मुडला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बांरा नायब तहसीलदार बारां की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बावडी खेडा तहसील बारां जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	बावडी खेडा	35 व 22	रतना पुत्र गंगोलिया	रतना उर्फ रतन लाल पुत्र गंगोलिया उर्फ गंगाराम

(Handwritten Signature)

(भनीचा तिकरी)

उपखण्ड न्यायालय अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां

क्रमांक/शीडर/लोक अदालत/20.21./इरमा खोपर

दिनांक.....

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार इरमा खोपर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रतन लाल 810 गंगोलिया को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(Handwritten Signature)
उपखण्ड न्यायालय अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां